

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

New Delhi, the ~~8th~~ February, 2000.

NOTIFICATION

S.O. _____ It is notified for general information that the Institution/Association mentioned below and its programme given hereunder have been approved by the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi, being the prescribed authority under rule 6AAC of the Income tax Rules, 1962, for the purposes of section 35CCB of the Income tax Act, 1961.

Name of the Institution/Association

M/s Vanarai
Vijaynagar, Pune - 400 001

Programme

Conservation of natural resources.

2. Both the approvals accorded by the Prescribed Authority namely (i) to the Institution/Association under sub-section (2) of section 35CCB and (ii) to the programmes under sub-section (1) of section 35CCB are valid for the period from 1.4.99 to 31.3.2001 with the following conditions:-

i) M/s Vanarai, Vijaynagar, Pune, shall maintain a separate account of the donations received by it for its conservation activities mentioned above,

ii) M/s Vanarai, Vijaynagar, Pune, shall furnish progress report of work done on their conservations programmes to the prescribed authority for the financial years 1999-2000 and 2000-2001 by 31.3.2000 and 31.3.2001 respectively,

iii) The society shall submit to the prescribed authority by the 31.3.2000 and 31.3.2001 annual audited accounts report for the years 1999-2000, 2000-2001 respectively showing total income and liabilities and a copy of each of these documents be sent to the concerned Commissioner of Income tax,

iv) M/s Vanarai must also submit to the prescribed authority the progress report as well as audited accounts report for the period 1999-2000 at the earliest, and

v) The approval is subject to the continued satisfaction of the prescribed authority and may be drawn with retrospective effect, if considered necessary.


(Kamlesh C. Varshney)

Under Secretary to the Govt. of India

Notification No. 1232 /T.No.203/27/2000/TIA.H

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi

Copy forwarded to:

1. All Chief Commissioners and Directors General of Income tax.
2. The Director of Income tax (DOMS), R.K.Puram, New Delhi.
3. Dr. Shyam Lal, Director, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodi Road, New Delhi, w.r.t. his letter No.26-21/90-EI(H) dated 20th December, 1999, and 15th December, 1999.
4. M/s Vanarai, Vijaynagar, Pune - 400 001
5. Joint Secretary and Legal Adviser, Ministry of Law, Shastri Bhawan, New Delhi
6. C&AG of India, New Delhi (40 copies)
7. Bulletin Section, DIT (RSP&PR), Hans Bhawan, New Delhi


(Kamlesh C. Varshney)

Under Secretary to the Govt. of India

भारत के राजपत्र के भाग ।। खण्ड ३४।। में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक ५ फरवरी, 2000

अधिसूचना

का०आ० सामान्य जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 गगड़ के प्रयोजनार्थ आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6 कक्षग के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी होने के नाते सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एतद्वारा नीचे लिखे संस्था/संघ तथा नीचे दिए गए इसके कार्यक्रम को अनुमोदित करते हैं।

संस्था/संघ का नाम

मैसर्स वनराई,
विजयनगर, पुणे-400001

कार्यक्रम

प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

२० विहित प्राधिकारी द्वारा १० धारा ३५ गगड़ की उपधारा २५ के अन्तर्गत संस्था/संघ को १० धारा गगड़ की उपधारा १० के अन्तर्गत कार्यक्रम को दिए गए दोनों अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ १०.४.१९ से ३१.३.२००१ तक की अवधि के लिए वैध है:-

१० मैसर्स वनराई, विजयनगर, पुणे द्वारा उपर्युक्त अपनी गतिविधियों के संरक्षण के लिए प्राप्त दान का अलग लेखा-जोखा रखा जाएगा।
१० मैसर्स वनराई, विजयनगर, पुणे द्वारा वित्त वर्ष १९९९-२००० तथा २०००-२००१ के लिए अपने संरक्षण कार्यक्रम पर किए गए कार्य की

प्रगति रिपोर्ट तिथि: 31.3.2000 तथा 31.3.2001 तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।

- ४।१।३ संस्था तिथि: वर्ष 1999-2000, 2000-2001 के लिए खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 31.3.2000 तथा 31.3.2001 तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी जिसमें सम्पूर्ण आय तथा देनदारियों को दर्शाते हुए इन प्रात्येक दस्तावेजों की एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजी जाएगी ।
- ४।१।४ मैसर्स बनराई को प्रगति रिपोर्ट तथा वर्ष 1999-2000 की अवधि के लिए खातों की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को यथा शीघ्र प्रस्तुत करनी चाहिए, और
- ४।१।५ यह अनुमोदन विहित प्राधिकारी की सतत सतुष्ठित के अधीन होगा तथा, मर्दि आय आकाश्यक समझा गया तो इसे भूतलक्षी प्रभाव से वापस लिया जा सकता है ।


कमलेश सी० वाई०

अवर सचिव, भारत सरकार

बिधिवृत्ता स० १२३२ फा०स० 203/27/2000-आयकर नि०-१।
सेवा मे,

पुर्बधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि:- अग्रेजी पाठानुसार प्रेषित ।